

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-2621/पांच-8-2016-जी(172)/2016
लखनऊ : दिनांक 16 अगस्त, 2015
कार्यालय-ज्ञाप

डा0 नेहा रस्तोगी, चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भंगेल, गौतमबुद्धनगर को मुख्य चिकित्साधिकारी, गौतमबुद्धनगर के पत्र संख्या-मु0चि0अ0/अना0प्र0पत्र/2016/2352, दिनांक 29-06-2016 तथा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के पत्र संख्या-3फ/118/2014/1472, दिनांक 10-08-2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति एवं संगत अभिलेखों के आधार पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 16-08-2016 से 15-10-2016 तक निजी व्यय पर विदेश यात्रा कैलिफोर्निया(अमेरिका) पर जाने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :-

1. डा0 नेहा रस्तोगी नियमानुसार अवकाश स्वीकृत कराकर यात्रा करेंगी।
2. डा0 नेहा रस्तोगी विदेश प्रवास के दौरान कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगी जिससे भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार के समक्ष किसी प्रकार की दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो।
3. डा0 नेहा रस्तोगी विदेश प्रवास के दौरान किसी प्रकार का निजी व्यवसाय अथवा वृत्ति नहीं करेंगी।
4. डा0 नेहा रस्तोगी की विदेश यात्रा का व्यय स्वयं वहन किया जायेगा।
5. डा0 नेहा रस्तोगी अपने विदेश प्रवास के दौरान अवकाश बढ़ाये जाने का अनुरोध नहीं करेंगी।
6. डा0 नेहा रस्तोगी उपरोक्त अवधि तक विदेश प्रवास के उपरान्त वापस आकर अपने तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगी।

शिवगोपाल सिंह
अनु सचिव।

संख्या- 2621 (1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ।
5. संयुक्त निदेशक, कार्मिक/गोपन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
7. कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
8. डा0 नेहा रस्तोगी, चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भंगेल, गौतमबुद्धनगर।
9. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।